

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
भोहन बनाम हनुमान

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए।

29/8/25

पत्रापत्नी पेशा। वकीलवादी
व स्वयंवादी अनुपस्थित रहे।
वर्क बार-बार आवाज दिलाये
जाने के बाद भी वकीलवादी
व स्वयंवादी उपस्थित नहीं।
अतः प्रकरण पत्रापत्नी अदम
हाजिरी एवं अदम परवी में
स्वारिज किया जाता है।
पत्रापत्नी नम्बर से कम होकर
बाद धूर्ति जमा हो।

8/1
SUD

मि. जज उपायुक्त न्यायालय

राजगढ़, पत्रापत्नी विभाग। 5/8/25

1/8/25

वकील